।। कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त माणकचौक, जयपुर उत्तर ।।

क्रमांकः—ई—मेल दिनांकः— 06.10.2020

श्रीमान पुलिस उपायुक्त

जयपुर उत्तर।

विषयः— सम्पर्क परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार बाबत प्रकाशित खबर चार दीवारी में आबादी के बीच पटाखो के गोदाम में आग, जिन्दा जला मजदूर के संबंध में।

प्रसंगः— श्रीमान के कार्यालय ई—मेल दिनांक 28.09.2020 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान पत्रिका में दिनांक 20.08.2020 को प्रकाशित समाचार शीर्षक ''आबादी के बीच बारूद का कारखाना धमाके से जिम्मेदारो की खुली आंखे'' के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना सुभाषचौक से रिपोर्ट प्राप्त की गई, थानाधिकारी थाना सुभाषचौक ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि दिनांक 18.08.2020 को थानाधिकारी भूरी सिंह पु0नि0 मय हमराही जाप्ता कानि नफे सिह 6038, मोहम्मद मरगूब कानि 4973, मय वाहन सरकारी चालक भंवर पाल कानि 5450 के थाने से समय 8.24 एएम पर गश्त निगरानी बदमाशान एवं कानून व्यवस्था डयुटी, चैकिंग जाप्ता हेतु थाने से रवाना होकर गश्त निगरानी बदमाशान इलाका थाना करता हुआ सुभाष चौक सर्किल पहुंचा जहां पर थानाधिकारी को जरिये दुरभाष पुलिस कन्ट्रोल रूम जयपुर आयुक्तालय जयपुर से समय 1.53 पीएम पर सूचना प्राप्त हुई कि पानो का दरीबा में पटाखे के कारखाने में आग लग रही है आदि सूचना पर थानाधिकारी मय हमराही जाप्ता मय कानि नफे सिह 6038, मोहम्मद मरगूब कानि 4973, मय वाहन सरकारी चालक भंवर पाल कानि 5450 वाहन सरकारी चालक के बिरदीचन्द की गली पानो का दरीबा में पहुंचे व देखा तो मकान नम्बर 638 बिरदीचन्द की गली, में आग लग रही थी जिसमें धुंआ उठ रहा था आग में विस्फोटक सामग्री धमाके के साथ जल रही थी, मौके की स्थिति को देखते हुये फायर ब्रिगेड व थाने से जाप्ता श्री महिपाल कानि 6244, विजय कुमार कानि 8632 मय सरकारी विडियों कैमरा के तलब किया गया। फायर ब्रिगेड व थाने से जाप्ता मौके पर पहुंचने पर फायर ब्रिगेड व जाप्ते की मदद से आग को बुझाया गया व मौके पर एफएसएल टीम तलब की जो तलब शुदा टीम चम्पा लाल टीम प्रभारी के नेतृत्व में उपस्थित आने पर मकान नम्बर 638 जो कि दो मंजिला बना हुआ है के ग्राउण्ड फ्लोर पर लगी आग के कारण जले हुये सामान में से पटाखे बनाने के काम में लिये जाने वाले काफी मात्रा में जले हुये रेपर, काले रंग का पाउडर व इलेक्ट्रीक कोल्ड फायर के जले हुये पटाखे मिले एफएसएल टीम द्वारा मौके से काले रंग के पाउडर व इलेक्ट्रीक कोल्ड फायर के जले हुये पटाखों के दो नग बतौर सेम्पल जप्त करने के निर्देशित करने पर जरिये फर्द जप्त कर एक प्लास्टिक की थेली में रख कर शिल्ड मोहर कर मार्का। अंकित किया गया व मकान के पूर्व मुखी गेट से ग्राउण्ड फ्लोर में प्रवेश कर देखा तो अंदर उत्तरी मुखी कमरे की पश्चिमी दिवार के पास एक व्यक्ति जिसकी जलने व दम घुटने से मृत्यु हो चुकी थी कि फोटो ग्राफी एफएसएल टीम द्वारा की गई व उसी कमरे में उत्तरी दीवार में लगे बिजली के बोर्ड व दक्षिणी मुखी रसोई की दक्षिणी दीवार में लगे बिजली के बोर्ड को आग लगने के कारणों की जांच

हेतू बतौर सैम्पल जरिये फर्द जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में अलग अलग रखकर शिल्ड मोहर कर मार्का क्रमशः ठव ॆ अंकित किया गया। बाद फोटो ग्राफी मौके से मृतक की पहचान उसके गांव के पडोसी व्यक्ति श्री प्रधान प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ शाह जाति बनिया उम्र 39 साल निवासी ग्राम सल्तवा, थाना चैनपुर, जिला पलामु झारखण्ड हाल म.न. 1185 चाणक्य मार्ग थाना सुभाष चौक जयपुर ने कमलेश पासवान पुत्र फनेसवर पासवान जाति पासवान उम्र 26 साल निवासी ग्राम सल्तवा, थाना चैनपुर, जिला पलामु झारखण्ड हाल किरायेदार म.न. 1379 चाणक्य मार्ग थाना सुभाष चौक जयपुर के रूप में की जिस पर मृतक की लाश को पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतू जरिये तहरीर तलब शुदा श्री अशोक सिंह स.उ.नि. के द्वारा एसएमएस होस्पीटल मुर्दाघर जयपुर रखवाई गई। मकान नम्बर 638 के मकान मालिक के बारे में मालूमात किया गया तो मकान श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन गुप्ता उम्र 42 साल निवासी 2। 138–39 ओम शिव कोलोनी शास्त्रीनगर जयपुर का होना ज्ञात हुआ तथा मकान के ग्राउण्ड फ्लोर पर उसके भाई पंकज अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन गुप्ता उम्र 38 साल निवासी 2। 138–39 ओम शिव कोलोनी शास्त्रीनगर जयपुर हाल पुर्णिमा फायर वर्क्स ख्वासजी का रास्ता, माणक चौक जयपुर द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के पटाखे निर्माण करने की विस्फोटक सामग्री व पटाखे निर्माण के काम में लिये जाने वाले रैपर्स, काले रंग का पाउडर, इलेक्ट्रिक कोल्ड फायर के पटाखे के सामान का भण्डारण कर रखा था। व मकान के प्रथम व द्वितीय फ्लोर पर किराये से मकान दिये हुये है जिसमें किरायेदार परिवार सहित निवास करते है उक्त अनिल अग्रवाल व पंकज अग्रवाल द्वारा आवासीय क्षेत्र में बने मकान में विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण कर दूसरे व्यक्तियों के जीवन को संकट में डालकर आवासीय मकान में गृह आदि नष्ट करने के आशय से विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करने व सामग्री रखने व उतावलेपन से कार्य करना यह जानते हुये कि ऐसा कार्य करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है कृत्य करना व विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाये या व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो। उक्त शक्सो के उक्त कृत्य के कारण उनके पटाखे बनाने का कार्य करने वाले श्रमिक कमलेश पासवान पुत्र फनेसवर पासवान जाति पासवान उम्र 26 साल निवासी ग्राम सल्तवा, थाना चैनपुर, जिला पलामु झारखण्ड हाल किरायेदार म.न. 1379 चाणक्य मार्ग थाना सुभाष चौक जयपुर की मृत्यु हो गई। जिसकी सूचना शक्स अनिल अग्रवाल व पंकज अग्रवाल को मिलने पर अपनी दुकान व मोबाईल बंद कर लिये। मौके पर शांति व्यवस्था कायम कर मय शिल्ड शुदा पेकिट मार्का ।एठएॆ मुताबिक फर्दात मय हमराही जाप्ता मय सरकारी चालक के मौके से रवाना होकर हाजिर थाना आया। शक्सो का उक्त कृत्य जुर्म धारा 286,336,436,304 आईपीसी व धारा 5,9बी भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 में दण्डनीय होना पाये जाने पर अभियोग सं. 107/2020 पंजीबद्ध किया जाकर तप्तीश श्री अशोक सिंह स.उ.नि. के जुम्मे की गई। जप्तशुदा शिल्ड पेकिट मार्का A,B,C को मुताबिक फर्द जमा मालखाना करवाया गया।

आदि पर प्रकरण 107/2020 धारा 286,336,436,304 भादस व धारा 5,9बी भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 में पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान बयानात गवाहान अन्तर्गत धारा 161सीआरपीसी में लेखबद्ध किये। मुकदमा मुस्तगीस की निशादेही से घटना स्थल का निरीक्षण नक्शा मौका व हालात मौका बनाया गया। आरोपीयन के मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल प्राप्त कर सीडीआर का विश्लेषण किया जा रहा है। मुल्जिमान की तलाश हेतू टीम गठित कर तलाश की जा रही है। मृतक कमलेश कुमार की लाश सुरक्षार्थ डी फ्रिज मुर्दाघर एसएमएस अस्पताल मुर्दाघर में रखवाई गई है। मृतक के परिजनो को सूचना दी गई है। परिजनो के उपस्थित आने पर पोस्टमार्डम कराया गया जाकर मृतक की लाश अंतिम संस्कार हेतू मृतक के भाई श्री कंचन मांझी व उसके चाचा को सुपुर्द कर रसीद कर प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। श्रीमान एमजे साहब द्वारा वास्ते परीक्षण दिये गये

विसरा जार को परीक्षण हेतू एफ.एस.एल जयपुर में जमा करवाये जाकर रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। घटना का चश्मदीद गवाह श्री अजय नायक उर्फ कालू के बयान अन्तर्गत धारा 161सीआरपीसी में लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपियान की तलाश मिलने के हरसंभव स्थानों पर की गई लेकिन आरोपियान का कोई पता नही चल सका। अब तक की तफ्तीश से आरोपी अनिल अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन गुप्ता उम्र 42 साल निवासी 2A 138–39 ओम शिव कोलोनी शास्त्रीनगर जयपुर, व उसके भाई पंकज अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन गुप्ता उम्र 38 साल निवासी 2A 138–39 ओम शिव कोलोनी शास्त्रीनगर जयपुर हाल पुर्णिमा फायर वर्क्स ख्वासजी का रास्ता, माणक चौक जयपुर द्वारा रिहायसी क्षेत्र में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से पटाखे बनाने का कार्य व पटाखे बनाने की सामग्री का भण्डारण करना पाया गया है। जो अपनी गिरफ्तारी के भय से अपने मसकनों से रूहपोश चल रहे है जिनकी तलाश व प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

(राजवीर सिंह)
सहायक पुलिस आयुक्त
माणक चौक, जयपुर उत्तर।